

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
2, सामुदायिक इन्ड्र, प्रीत विहार,
दिल्ली-110092

न० * ४०५ | २०८० | ०३ | ५०-६४३०

दिनांक २५.५.८८

कायलिय अदेश

समस्त विभागाध्यक्षों की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि उनके आवास पर प्रदान किए गए दूरभाष की समानक आर्थिक सीमा 2800 रुपये प्रतिमाह है। यदि इस सीमा से अधिक काले होती हैं तो उनका भुगतान बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने पर ही किया जाएगा। इसलिए यह अनुरोध है कि इस संबंध में फिकायत के पर्याप्त उपाय किये जाएं।

यह अदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जररी किया जाता है।

श्रीमि अमरा-

॥ शशि भूषण ॥
संयुक्त सचिव ॥प्रशा. एवं विधि ॥

प्रतिः

1. सचिव महोदय के निजी सहायक।
2. परीक्षा-नियंत्रक महोदय के निजी सहायक।
3. विभागाध्यक्ष ॥विशेष परीक्षा॥ के निजी सहायक।
4. सभी डी.डी.ओ. ॥मुख्य कायलिय॥ ए.आई.ई.ई.ई., क्षेत्रीय कायलिय दिल्ली, पी.एम.टी.।